9-356/10

न्यायालय जिला दण्डाधिकारी, पटना

–: आदेश :–

2013

विविध शस्त्र अनुज्ञप्ति वाद संख्या–9–356/2010 में आवेदक **श्री नारेन्द्र कुमार तिवारी**, पिता–श्रीनाथ तिवारी, सा0–निजामपुर, थाना–नौबतपुर, जिला–पटना के नाम एक एन0पी0बोर पिस्टल अनुज्ञप्ति आवेदन–पत्र पर वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त करने की कार्रवाई की गई।

आवेदक उपस्थित। आवेदक द्वारा बताया गया कि वे एक कृषक तथा सामाजिक कार्यकर्त्ता हैं। उनके पास लगभग छः एकड़ कृषियोग्य भूमि है तथा वार्षिक आय 1,20,000/–(एक लाख बीस हजार) रूपये प्रतिवर्ष है। आवेदक से सुरक्षा भय के बिन्दु पर पृच्छा किए जाने पर कोई स्पष्ट कारण नहीं बताया गया।

वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त पत्रांक–594/गो0, दिनांक–07.04.2010 का अवलोकन किया गया। वरीय पुलिस अधीक्षक द्वारा अधीनस्थ पदाधिकारियों के प्रतिवेदन के आलोक में शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन–पत्र को अनुशंसा के साथ आवश्यक क्रियार्थ भेजी गयी। थानाध्यक्ष द्वारा जान–माल की सुरक्षा हेतु शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत किए जाने की अनुशंसा की गयी है परन्तु समर्पित प्रतिवेदन में आवेदक के सुरक्षा भय के बिन्दु पर स्पष्ट तथ्य अंकित नहीं किया गया है।

गृह मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संकल्प सं0–V-11016/16/2009, शस्त्र दिनांक–31.03.2010 की कंडिका–II में एन0पी0बोर शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने के संबंध में निदेश अंकित है, जो निम्नवत है :–

The arms licences for acquisition of NPB weapons are considered by the State Government/DM concerned. At present, there are no norms for grant of NPB weapons and some State Governments may be issuing arms licences liberally.

कंडिका–II की उप कंडिका–b तथा e निम्नवत है :–

b) No licence may be granted without police verification, which will include report on i) antecedents of the applicant, ii) assessment of the threat, iii) capability of the applicant to handle arms, and iv) any other information which the police authority might consider relevant for the grant or refusal of licence.

e) The licensing authority shall be obliged to take into account the report of police authorities called for under section 13 (2) before granting arms licenses and no arms licence may be issued without police verification.

वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन, आवेदक द्वारा उपस्थित होकर रखे गये तथ्यों, गृह मंत्रालय; भारत सरकार के पत्र संकल्प सं0–V-11016/16/2009, शस्त्र दिनांक–31.03.2010 में निहित निदेश एवं अभिलेख में संलग्न कागजातों के सूक्ष्मता पूर्वक अवलोकन के पश्चात अधोहस्ताक्षरी इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि आवेदक को सुरक्षा के बिन्दु पर कोई विशेष सुरक्षा भय/आशंका नहीं है तथा उन्हें एक एन0पी0बोर पिस्टल हेतु शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत किए जाने का कोई यथेष्ट कारण नहीं है।

शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 3, शस्त्र नियम 1962 में निहित शक्तियों वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन, आवेदक द्वारा उपस्थित

9-356/10

होकर रखे गये तथ्यों तथा गृह मंत्रालय; भारत सरकार के पत्र संकल्प सं0–V-11016/16/2009, शस्त्र दिनांक–31.03.2010 में निहित निर्देश एवं के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त आवेदक **श्री नारेन्द्र कुमार तिवारी**, पिता–श्रीनाथ तिवारी, सा0–निजामपुर, थाना–नौबतपुर, जिला–पटना के आवेदित एक एन0पी0बोर पिस्टल अनुज्ञप्ति आवेदन–पत्र को **अस्वीकृत** किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

02/4/10

जिला दण्डाधिकारी,
पटना।

02/4/10

जिला दण्डाधिकारी,
पटना।